

1. मा० उच्चतम न्यायालय, नईदिल्ली में योजित स्पेशल अपील(सिविल) नम्बर (एस) 32344 / 2010 उ०प्र० राज्य व अन्य बनाम राजीव कुमार

विषय— स्पेशल अपील संख्या 1120 / 2010 राजीव कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 3 .8.2010 के विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय, नईदिल्ली में विशेष अनुज्ञा योजित की गयी। यह याचिका उ०प्र० राज्य सीधी भर्ती में महिलाओं को दिये जा रहे 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (शासनादेश संख्या 18 / 1 / 99 / का—२—९९ दिनांक 26 .2.1999) के सम्बन्ध में है।

निर्णय— माननीय उच्चतम न्यायालय नईदिल्ली द्वारा आदेश पारित किया गया कि

Issue notice. During the pendency of the special leave petition, the operation of the High Court order shall remain stayed.